

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड II(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 399] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 1972/भाद्र 16, 1894

No. 399] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 1972/BHADRA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDERS

New Delhi, the 4th September 1972

S. O. 378 (B).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or documentary film
1	2	3	4	5	6
I. A	New Beginning	301M	Films Division Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Films Division Bombay.	Documentary Film.

1	2	3	4	5	6
2.	Symphony of Progress	323 M	Films Division, Government of India, 24 Padder Road, Bombay—26.	Films Division, Bombay.	Film intended for educational purpose.
3.	Indian News Review No. 1243.	192.63M	„	„	Film dealing with news and current events.
4.	Interview with Prime Minister	293.50M	Films Div. Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Film Div. Bombay.	Films dealing with news and current events.
5.	I.N.R. No. 1244	301.14M	„	„	„

[No. 28/1/72 F.P.]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 मिनम्बर, 1972

एस० श्री० 578(अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के आदेश संख्या एस० श्री० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार, बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के मामले उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

फाइल संख्या 28/1/72 एफ० पी०

अनुसूची

क्रम सं०	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	अभिदेक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
(1)	ए न्यू बिगनिंग	301 मी०	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार	डाकुमैन्ट्री	फिल्म
			24-पैडर रोड, बम्बई-26		
(2)	सिमफनी आफ प्रोग्रेस	3. मी०	—तथैव—		शिक्षा संबंधी फिल्म

1	2	3	4	5	6
(3)	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1243	192. 63 मी०	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26	(समाचार और साम- यिक घटनाओं की फिल्म)	
(4)	प्रधान मंत्री के विचार	293. 50 मी०	—तथैव—	—तथैव—	
(5)	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1244	301. 14 मी०	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24-पैडर रोड बम्बई-26	(समाचार और साम- यिक घटनाओं की फिल्म)	

[सं० 28/1/72]

S. O. 579 (B).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film.	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	I.N.R. No. 1243 (Eastern Edition)	251.76M	Films Division, Government of India, 24 -Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events, (For release in Eastern States i.e., Assam, Bihar, Nagaland Orissa, West Bengal, Manipur, NEFA and Tripura).

[No. F. 28/1/72-FP App.]

एस० ओ० 579(अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792 तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित अधिनियमों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार फिल्म मनाहकार बोर्ड, बम्बई की

सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को इसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम सं०	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1243 (पूर्वी संस्करण)	251.76 मी०	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल पूर्वी प्रदेशों अर्थात् असम, बिहार, नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नेफा और त्रिपुरा में रिलीज करने के लिए)

[सं० फा० 28/1/72-एफ० पी० परिशिष्ट 1704]

S. O. 580 (E).— In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

- (1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).
- (2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

S. No.	Title of the film.	length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	Mojki Mullen Sungande Phulen	92.96M	M/s Sukwani Films, Bombay		Film dealing with news and current events (For release in Maharashtra Circuit only).
2.	Interview with Prime Minister	92.65m	Films Division, 24-Road, Bombay-26.	Peddar	News and current events for release in Maharashtra circuit only.

[No. F. 28/1/72—FP App. 1704]

J. P. GOYAL,
Under Secy.

एस० एम० 580(अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित अधिनियमों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्वारा इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

- (1) चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।
- (2) बम्बई मिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1953 (1953 का 11वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9।

द्वितीय अनुसूची

क्रम सं०	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
(1)	मौजकी मलें सुगंधी फलें	92.96 मी०	मैसर्स एस० सुकवानी, फिल्मस्, बम्बई		शिक्षा संबंधी फिल्म (केवल महाराष्ट्र, सर्किट में रिलीज करने के लिए)

1	2	3	4	5	6
(2)	प्रधान मंत्री के विचार	92.65 मी०	फिल्म डिवीजन 24-पैडर रोड, बम्बई।		समाचार और साम- यिक घटनाओं की फिल्म (केवल महा- राष्ट्र सफ़िट में रिलीज करने के लिये)

[संख्या फाईल 28/1/72-एफ० पी० परिशिष्ट 1704]

जे० पी० गोयल, अवर सचिव ।